जगमाल सिंह | आजुद्दीन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर मय	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
24-4-19	अभिभावक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभावक अपीलांट/उत्तरधावी समय चाहते है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 1-5-19 को पेश हो	
1-5-2019	उभयपक्ष के वकील उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 3-5-2019 को पेश हो।	
3.5.19	उभयपक्ष के वकील उपस्थित। बहस पर गौर किया गया तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील रेस्पोंडेण्टस ने अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज करने का अनुरोध किया। वकील अपीलांटस का तर्क है कि विवादित भूमि पक्षकारों की पैतृक सम्पत्ति होने के कारण उनके अधिकार विरासत के आधार पर स्वतः ही सृजित हो चुके है। अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा वाद के जवाब में काउण्टर क्लेम पेश किया गया था, जिसका वादी द्वारा विरोध न करने पर अतः काउंटर क्लेम स्वतः ही डिक्री किये जाने योग्य था। वकील अपीलांटस ने बहस के दौरान एवं मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत दरख्वास्त में काउण्टर क्लेम खारिज होने के सात साल बाद तक अपील नहीं करने बाबत कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है।	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में साक्ष्य पेश करने में विफल रहने तथा प्रतिवादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम के माध्यम से अपेक्षित अनुतोष को स्पष्ट न करने के कारण दोनों पक्षों के वाद-प्रतिवाद को परीक्षण न्यायालय द्वारा खारिज करने के सात साल बाद भी पुनरावलोकन प्रार्थनापत्र या अपील पेश नहीं करने से स्पष्ट है कि दोनों पक्ष वाद-प्रतिवाद के प्रति गंभीर नहीं रहे है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने की तिथी को पक्षकारों के मध्य खातेदारी की स्थिति स्पष्ट थी, तथा आगामी 22 साल तक पक्षकारों के मध्य अधिकारों की स्थिति मजबूत हो चुकी थी। इतनी लम्बी अवधि के पश्चात पूर्व में स्थापित स्थिति को परिवर्तित करने की नीयत से वाद को पूर्व स्थिति में लाना रिकार्डेड खातेदारों के सुस्थापित अधिकारों के प्रति अन्याय होगा। लिहाजा अपील प्रस्तुत करने में हुये सात साल के विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित नहीं होने के कारण अपील मियाद बिन्दु पर खारिज की जाती है। (हस्ताक्षर) 3/5/19 राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर	

किस्म मुकदमा ____ नं. ____ सन् ____

Scanned by CamScanner